न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-486RAAJodhpur2022-288RTA225 Kishorsingh Vs Kisanaram etc

किशोरसिंह पुत्र श्री सांगसिंह जाति राजपूत, निवासी जाखड़ों की ढाणी, सामराऊ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. किसनाराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट, निवासी जाखड़ों की ढाणी, सामराऊ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 245/2022 किशोरसिंह बनाम किसनाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
रेस्पोडेंट संख्या एक बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 20 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 245/2022 किशोरसिंह बनाम किसनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 801/11 रकबा 2.9704 हैक्टेयर ग्राम जाखड़ो की ढाणी में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नं. 809 में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2022 के जरिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि खसरा नं. 801/11 के लगता हुआ कोई रास्ता नहीं है तथा न ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलार्थी के पास कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। इस कारण अपीलार्थी को खसरा नं. 809 में से रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अपीलार्थी के खेत तक पहुँचने हेतु खसरा नं. 809 में से ही रास्ता दिया जा सकता है जो सबसे निकटतम एवं लघुतम व सुगम रास्ता है। उक्त तथ्य के पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी

खारिज कर दिया, जो आदेश अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए में वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 15.08.2022 के अवलोकन मुताबिक प्रथमदृष्टया यह साबित है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 801/11 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मूल खसरा नं. 801 में होकर रास्ते की मांग किया जाना उचित है। यदि मूल खसरा नं. 801 में सें भी लघुतम एवं एवं निकटतम रास्ते का विकल्प मौजूद है तो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप मूल खसरा नं. 801 में सें भी रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रास्ता उपलब्ध करवाये बिना उसके आवेदन को खारिज किया जाना पाया जाता है जो विधिसम्मत नहीं पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच किये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2022 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पो बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर